न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/05/2025	2025/136	03.06.2025	19.01.2026

1. सुबे खां पुत्र श्री भोबला, जाति मेव, उम्र करीब 45 साल, निवासी ग्राम मुकन्दवास तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज०)

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सुमरा पुत्र मुन्ती जाति मेव उम्र करीब 55 साल, निवासी ग्राम मुकन्दवास तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
2. तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसार रामगढ़ जिला अलवर (राज०) —असल रेस्पोडेण्ट

—तर० रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसार रामगढ़ आदेश दिनांक 18.06.1992 वाके ग्राम मुकुन्दवास तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री सनत कुमार जैन —वकील अपी0
02—श्री जनार्दन शर्मा —वकील रेस्पो0

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 18.06.1992 वाके ग्राम मुकुन्दवास तहसील रामगढ़ स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 319 रकबा 1 बीघा ग्राम मुकन्दवास तहसील रामगढ जिला अलवर राज० में स्थित है, जो विवादित आराजी है। उक्त आराजी मुतनाजा पर अपीलान्ट का कब्जा अरसे दराज से चला आ रहा है तथा अपीलान्ट आज भी मौके पर काबिज है और फसल बोता काटता चला आ रहा है। विवादित आराजी से रेस्पाडेन्ट का कोई सरोकार व सम्बन्ध किसी तरह का नहीं है। किन्तु रेस्पाडेन्ट ने अपीलान्ट के बाला बाला तत्कालीन पटवारी हल्का आदि की मिलीभगत से गलत रिपोर्ट करवाकर विवादित आराजी का पट्टा दिनांक 18—06—1992 को अपने नाग जारी करवा लिया, जिसकी अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.08.2022 को हुई, इस पर अपीलान्ट ने तहसीलदार कार्यालय में जाकर मालूमात की तथा नकलें प्राप्त की। तत्पश्चात् अपीलान्ट ने अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि अभी वो अभी निजी कारणों से ज्यादा व्यस्त हैं तथा कुछ समय बाद आकर संपर्क करने के लिए कहा व कहा कि वो अपीलान्ट को फुर्सत मिलते ही कानूनी सलाह मशवरा के लिए बुला लेंगे। इसके बाद दिनांक 10.10.2022 को वकील साहब ने सूचना देकर अपीलान्ट को बुलवाया तथा अपीलान्ट ने वकील साहब से संपर्क कर कानूनी सलाह मशवरा किया तथा वकील साहब ने संबंधित पत्रादियों का अध्ययन किया व तमाम तथ्यों की जानकारी अपीलान्ट से ली और आलोच्य पट्टे की अपील पेश करने की सलाह दी। तत्पश्चात् अपीलान्ट ने वकील साहब की फीस व अन्य खर्चों के लिए रूपये का इंतजाम किया तथा

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

वकील साहब ने अपील तैयार कराई, जिसको आज यह अपील अविलम्ब ही प्रस्तुत की जा रही है, जो कि अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने योग्य है। जेर दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

विवादित आराजी 319 रकबा 1 बीघा ग्राम मुकन्दवास तहसील रामगढ जिला अलवर राज० से लगते हुए इसी गांव मुकन्दवास में अपीलान्ट की दीगर खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 321 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भी है, जिसका हाल नंबर 531 रकबा 1.22 है० है, जो कि अपीलान्ट ने बदलू पुत्र मिसरू जाति मेव निवासी ग्राम मुकन्दवास से वर्ष 2000 में इकरारनामा से खरीदी थी तथा इससे पूर्व से ही अपीलान्ट विवादित आराजी खसरा नंबर 319 रकबा 1 बीघा पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है, जिससे रेस्पाडेन्ट संख्या 1 का कोई लेना–देना किसी तरह का नहीं है, न ही उसका विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है। आलोच्य आज्ञा पारित करने से पूर्व तत्कालीन पटवारी हल्का ने मौके पर आकर कोई जांच नहीं की न अपीलान्ट को तलब किया तथा अपीलान्ट के बाला–बाला तत्कालीन पटवारी हल्का से मिलीभगत करके तथा गलत रिपोर्ट तैयार करवाकर रेसपार्डेट संख्या 2 से आलोच्य पट्टा जारी कराया गया है तथा रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ने बिना मौके की जांच किए, बिना कोई गवाह तलब किए बेजा दबाव आकर पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी किया है। जबकि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 का आराजी मुतनाजा पर कभी कब्जा नहीं रहा है, न उसने आराजी मुतनाजा को कभी काश्त की है और न ही आज उसका मौके पर कब्जा है। इसलिए आलोच्य पट्टा काबिल खारिज है। आलोच्य आज्ञा पारित करने से पूर्व अपीलान्ट, जो कि कब्जेदार है, को न तो तलब किया गया, न कोई सुनवाई का अवसर दिया गया तथा सरासर न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों उल्लंघन करते हुए आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जो काबिल खारिज है। वक्त जारी किए जाने पट्टा विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा था और अपीलान्ट की फसल थी। ऐसी स्थिति में आलोच्य पट्टा जारी ही नही किया जा सकता है तथा आवंटन नियमों के खिलाफ पट्टा जारी किया गया है, जो हर सूरत में निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, रामगढ़ जिला अलवर राज० दिनांक 18–06–1992, कि जिसके द्वारा आराजी खसरा नंबर 319 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम मुकन्दवास तहसील रामगढ़ जिला अलवर का टेम्परेरी पट्टा संख्या 3605 दिनांक 18–06–1992 बहक रेस्पाडेंट संख्या–1 खिलाफ मौका कब्जा विधि विरुद्ध तरीक पर जारी किया गया, को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया गया कि अपीलांट की अपील दिनांक 18.06.1992 बाबत आ०ख० नं. 319 रकबा 1 बीघा के सम्बन्ध में है जो अपील करीब 30 वर्ष पश्चात् पेश की गई है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुत्त कारण के साथ पेश नही की है। इसलिए अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट पीडित पक्षकार नहीं है। उसको अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए धारा 96 सीपीसी के तहत खारिज फरमायी जावे। निष्क्रांत सम्पत्ति (कस्टोडियन लैण्ड) के सम्बन्ध में कानून समाप्त हो गया इसलिए अपीलान्ट को नियमित वाद दायर करना चाहिए अगर उसके कोई विवादित भूमि में लम्बित है तो निष्क्रांत सम्पत्ति का कानून राजस्थान सरकार द्वारा रिफील कर दिया है। रेसपो० के पिता मुन्ती वादग्रस्त आराजी का गैरखातेदार पट्टेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर अब रेस्पो० काबिज होकर काश्त कर रहा है। पटवारी हल्का रिपोर्ट में रेसपो० पट्टेदार दर्ज है। इसलिए खातेदारी का सनद पट्टा प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। रेस्पो० का पट्टा कभी निरस्त नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कानूनी प्रक्रिया अपनायी जाकर रेसपो० से कीमत कर्जा जमा कराकर अपीलाधीन आदेश पारित

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

किया गया है। अपीलांट का विवादित आराजी में कोई सम्बन्ध नहीं है न तो वो मौके पर काबिज है तथा न ही राजस्व रिकार्ड में उसकी कोई हैसियत है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.05.1992 पर रेस्पो० का कब्जा अंकित किया है तथा सम्वत् 2015 में अपीलान्ट का पिता मुन्ति गैर खातेदार पट्टेदार दर्ज है। कानूनन जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज है वो ही सनद खातेदारी पात्र करने का अधिकारी है।

अतः रेस्पो० की ओर से कानूनी बिन्दू अर्ज कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर भी व कानूनी अन्य बिन्दुओं के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर विचार किया गया। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट को तहत अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अपीलाण्ट उक्त विवादित आराजी पर कब्जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी का रेस्पो० को पट्टा जारी करने से पूर्व अपीलांट को नहीं सुना गया और मेरी कब्जेशुदा आराजी का पट्टा रेस्पो० को जारी किया गया जिससे अपीलांट के हक हकूक जायल होते हैं। अपीलांट को अपूर्णिय क्षति होती है। अतः अपीलांट का प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट के द्वारा अपील अवैध कब्जे के आधार पर एवं अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाने एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अवैध कब्जे के आधार पर अपीलांट के कोई हक हकूक जायल होना प्रतीत नहीं होता है परन्तु प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करना उचित समझते हैं। इसलिए अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.1992 के विरूद्व दिनांक 01.11.2022 को पेश की गयी है जो लगभग 30 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपी0 का मुख्य कथन यह है कि विवादित आराजी 319 रकबा 1 बीघा ग्राम मुकन्दवास तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज० से लगते हुए इसी गांव मुकन्दवास में अपीलान्ट की दीगर खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 321 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भी है, जिसका हाल नंबर 531 रकबा 1.22 है० है, जो कि अपीलान्ट ने बदलू पुत्र मिसरू जाति मेव निवासी ग्राम मुकन्दवास से वर्ष 2000 में इकरारनामा से खरीदी थी तथा इससे पूर्व से ही अपीलान्ट विवादित आराजी खसरा नंबर 319 रकबा 1 बीघा पर करीब 33 साल से काबिज होकर लगातार काश्त करता चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने कथित आदेश पारित करने से पूर्व सर्वसाधारण के सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नही किया और अपीलांट को उक्त प्रकरण बाबत कोई जानकारी नही हो सकी। जिस कारण ऐतराज प्रस्तुत नही कर सके और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो० को टेम्परेरी पट्टा सं. 3605 दिनांक 18.06.1992 को सुमरा वल्द मुन्ति मेव मुकन्दवास तह० रामगढ को जारी कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि रेस्पो० सुमरा पुत्र मुन्ति ने प्रा०पत्र दिनांक 09.12.1991 को तहसीलदार रामगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त आराजी का खातेदारी पट्टा जारी करने बाबत प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रा०पत्र की जांच पटवारी हल्का मुकन्दवास दिनांक 05.01.1992 के अनुसार आराजी खसरा नं० 319 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम मुकन्दवास में मुताबिक रिकार्ड बदलू पुत्र मिसरू मेव के नाम गैरखातेदारी करटोडियन दर्ज है। आराजी खसरा नं० 319 रकबा 1 बीघा का साबिक खसरा नं० 316 मिन रकबा 1 बीघा है। गिरदावरी संवत 2015 ल० 2019 के अनुसार मुन्ति पुत्र जोधसिंह मेव साकेन देह गैरखातेदार पट्टेदार दर्ज है। मुन्ति फौत

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

हो चुका है जिसका एकमात्र वारिस सुगरा पुत्र मुन्ति है। मौके पर भी वर्तमान में सुगरा ही काश्त करता चला आ रहा है एवं काबिज है। मौके पर उपस्थितान ने बताया कि बदलू पुत्र मिसरू इस गांव को छोडकर पाकिस्तान चला गया है एवं प्रार्थी उक्त आराजी की भूमि–कीमत मय ब्याज जमा कराकर खातेदारी चाहता है। इसके पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उज्रदारी नोटिस जारी किया गया। नियत अवधि में कोई उज्र प्राप्त नहीं होने पर भूमि कीमत मय सूद राशि 434 रूपये जमा कर आराजी खसरा नं० 319 रकबा 1 बीघा का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा टेम्परेरी पट्टा सं० 3605 दिनांक 18.06.1992 सुमरा पुत्र मुन्ति मेव साकिन मुकन्दवास तहसील रामगढ़ के पक्ष में जारी किया गया। हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में रेस्पो० सुमरा पुत्र मुन्ती हि० पूर्ण जाति मेव सा०देह खातेदार दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट का उक्त विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलांट के कोई हक–हकूक निहित नहीं होने पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 18.06.1992 टेम्परेरी पट्टा सं. 3605 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)